न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 65/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/218)

1. रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र रेवड जाति ब्राहमण निवासी डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. अध्यक्ष आंवटन सलाहकार समिति जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 04.07.2023 प्रकरण संख्या 21/2019 उनवानी रमेश चन्द शर्मा बनाम कन्हैयालाल व अन्य

उपस्थित–

1. श्री राजकुमार गठाला, वकील अपीलान्ट
2. श्री उमेश गौड, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 2 व 3 की ओर से

अपील अपील संख्या 66/2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023/217)

1. रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा जाति ब्राहमण निवासी डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. चिरंजीलाल पुत्र रेवड जाति ब्राहमण निवासी डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
2. अध्यक्ष आंवटन सलाहकार समिति जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 04.07.2023 प्रकरण संख्या 20/2019 उनवानी रमेश चन्द शर्मा बनाम चिरंजी लाल व अन्य

उपस्थित–

1. श्री राजकुमार गठाला, वकील अपीलान्ट
2. श्री उमेश गौड, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 2 व 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक –11.06.2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह दोनो अपीले राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 04.07.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनो प्रकरणो के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।

2 प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में से क्रमश 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रेवड को तथा श्री चिरंजी लाल पुत्र रेवड को 5 बीघा भूमि का आंवटन 06.06.1989 के हक में किया गया था। उक्त भूमि का आंवटन योग्य नहीं होना, भूमि आंवटन के सम्बन्ध में कोई उदघोषणा जारी नहीं किया जाना, आंवटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही होना एवं उक्त आंवटन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाना व्यक्त करते हुये प्रार्थी श्री रमेशचन्द पुत्र मूलचन्द शर्मा द्वारा विवादगस्त भूमि के आंवटन आदेश दिनांक 06.06.1989 को निरस्त करवाये जाने हेतु दो अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 04.07.2023 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) सारहीन होने के कारण अस्वीकार करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 04.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट रमेशचन्द शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दो प्रार्थना पत्र 14(4) का पेश कर निवेदन किया गया था कि ग्राम डाबर खुर्द तहसील रामगढ पचवारा स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 14 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा में से क्रमशः 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रेवड को तथा श्री चिरंजी लाल पुत्र रेवड को 5 बीघा भूमि का आंवटन 06.06.1989 के हक में किया गया था। उक्त भूमि का आंवटन योग्य नहीं होना भूमि आंवटन के सम्बन्ध में कोई उदघोषणा नहीं किया जाना, आंवटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं होना एवं उक्त आंवटन विधि में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं किये जाने जाने से आंवटन निरस्त किये जाने जाने की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र यह कहते हुये खारिज कर दिया कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र लगभग 30 वर्ष बाद पेश किया है और आंवटनशुदा भूमि का गैर खातेदारी में अप्रार्थी के पक्ष में इन्द्राज हो चुके हैं। केवल अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के कथनों के आधार पर ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.07.2023 को खारिज फरमा दिया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने यह तथ्य अंकित किये थे कि अप्रार्थी संख्या 1 को कभी कोई आंवटन शुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नहीं की गई है। आंवटनशुदा भूमि का आंवटी ने लगभग 25 वर्ष पश्चात बिना किसी समक्ष रिपोर्ट के अवैध तरीके से राजस्व कारकूनान से मिलीभगत करते हुये नामान्तरकरण संख्या 154 एवं 155 खुलवाया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थी ने स्पष्ट कथन किया था कि अप्रार्थी द्वारा गैर खातेदारी भूमि का खातेदारी भूमि में दिनांक 29.04.2014 को राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर आंवटन के लगभग 25 वर्ष बाद खसरा नम्बर 14 के उप नम्बर 40/14/2 एवं 40/14/3 डालकर खातेदारी में अवैध तरीके से दर्ज किया गया है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का लगभग 55–60 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है और प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त तथ्यों पर कोई न्यायिक अवलोकन नहीं किया है उक्त प्रार्थना पत्र 14 (4) के प्रार्थना पत्र निरस्त करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय ने न तो मौके की वस्तु स्थिति बाबत कोई मौका रिपोर्ट ही भी नहीं मंगवाई गई ना ही मौके की जांच भी की गई मात्र अप्रार्थी के कथनानुसार ही प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। विवादित आराजीयात पर अपीलान्ट के मकानात, खाम बाडे व लेट बाथ बने हुये है। तथा अपीलान्ट के नाम से बिजली का विद्युत कनेक्शन भी लगा हुआ है जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना ध्यान व अवलोकन किये ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। उक्त आंवटनशुदा विवादित भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वज मूलचन्द वल्द झूथा का नाम दर्ज व अंकित चला आ रहा है। तथा वर्तमान में अपीलान्ट उक्त आंवटनशुदा भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह किसी भी प्रकार से निर्णय की संज्ञा में नहीं आता है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा क्रमश : प्रकरण संख्या 20/2019 उनवानी रमेशचन्द शर्मा बनाम चिरंजी व अन्य एवं प्रकरण संख्या 21/2019 उनवानी रमेशचन्द शर्मा बनाम कन्हैया लाल व निर्णय दिनांक 04.07.2023 निरस्त किया जावे। तथा पत्रावली पुनः अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रति प्रेषित किया जावे। तथा अन्य न्यायोचित आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे ओर अता फरमाया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 14(4) आंवटन से लगभग 30 वर्ष बाद पेश किया है। प्रार्थी ने अपने कलूषित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आंवटी अप्रार्थी चिरंजीलाल व कन्हैयालाल को अकारण हैरान परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त भूमि का आंवटन अप्रार्थी चिरंजीलाल व कन्हैयालाल के कब्जे काश्त में होने के कारण हुआ था तथा आंवटन के बाद से आज दिन तक अप्रार्थी काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। अप्रार्थी के कब्जे काश्त का सर्वोत्तम प्रमाण सम्वत 2074–77 की खसरा गिरदावरी है जिसमें अप्रार्थी बाजरा व ग्वार की फसल काश्त कर रखी है। अप्रार्थी ने सिंचाई हेतु उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन स्थापित कर रखा है। अप्रार्थी का आंवटनशुदा भूमि पर आंवटन से पूर्व व बाद में निरन्तर कब्जे काश्त को आधार मानते हुये आंवटन कमेटी ने दिनांक 06.06.1989 को उक्त भूमि में से क्रमशः 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रेवड को तथा श्री चिरंजी लाल पुत्र रेवड को 5 बीघा भूमि का आंवटन 06.06.1989 के हक में किया गया था तथा आवंटी अप्रार्थी ने आंवटन के समस्त नियमों का विधिपूर्वक पालन करते हुये उक्त आंवटनशुदा भूमि को काश्त करता रहा। जिसके फलस्वरूप अप्रार्थी के हक में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 154 एवं 155 दिनांक 29.04.2014 को स्वीकार हुआ, तदोपरान्त नामान्तरकरण संख्या 198 दिनांक 29.12.2017 स्वीकार कर आंवटी कन्हैयालाल को एवं नामान्तरकरण संख्या 199 दिनांक 29.12.2017 स्वीकार कर आंवटी कन्हैयालाल को गैर खातेदारी से खातेदार के रूप में इन्द्राज किया गया है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र 14(4) लगभग 30–32 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है, जो कि अप्रार्थी चिरंजीलाल एवं

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कन्हैयालाल को हैरान परेशान करने की गरज से झूंठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। ऐसे में प्रार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे। अतः यह अपील खारिज कर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.07.2023 को यथावत रखे जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में भूमि आंवटन नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पूर्व कब्जे संबंधी कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुये की प्रकरण आंवटन के लगभग 30 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है एवं आंवटी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है, प्रकरण को निर्णित कर दिया गया है जबकि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने का मुख्य आधार कब्जा काश्त ही नियमानुसार होना अपेक्षित होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2023 के विरूद्ध दोनों अपीलें संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/218 उनवान रमेश चन्द शर्मा बनाम कन्हैयालाल एवं जीसीएमएस नम्बर 2023/217 उनवान रमेश चन्द शर्मा बनाम चिरंजीलाल की अपील आंशिक रूप स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जॉच की जाकर तदानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावे :–

1. मौका कमीशनर (तहसीलदार) से विवादित भूमि के कब्जे की मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे। यदि आंवटी का कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।
2. यदि आंवटी का कब्जा काश्त नहीं पाया जाता है तो उक्त भूमि का राजकीय घोषित किया जा सकता है अथवा नही के सम्बन्ध निर्णय लिया जावे।
3. यदि किसी अन्य का पक्ष का कब्जा पाया जाता है तो बेदखली की कार्यवाही संबंध में निर्णय लिया जाकर भूमि को कब्जेराज लिया जावे।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।